

**बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मिलने वाली छूट और कटौतियों की निष्पादन
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की [बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मिलने वाली छूट और कटौतियों] की निष्पादन लेखापरीक्षा - प्रत्यक्ष कर की 2025 की प्रतिवेदन संख्या 40 आज संसद के पटल पर रखी गई। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में न केवल सीएजी की 2008 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 में की गई पिछली लेखापरीक्षा अनुशंषाओं के आधार पर विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों की समीक्षा की गई, बल्कि परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधान पर आरबीआई मानदंडों के अनुपालन की भी जांच की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के निर्धारण सम्मिलित थे। विभिन्न मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा जांच के लिए 2,463 मामलों का एक नमूना चुना गया था, जिनमें से, जून 2023 तक, लेखापरीक्षा के दौरान 2,378 मामलों की जांच की गई थी।

इस प्रतिवेदन में कुल 1,847 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं, जिनमें 671 प्रणालीगत मुद्दे, 118 संबंधित-पक्ष संबंधी अभ्युक्तियां, 525 आंतरिक नियंत्रण मुद्दे और 533 अनुपालन मुद्दे सम्मिलित हैं, जिनमें ₹ 74,766.39 करोड़ का संभावित कर निहितार्थ है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन मुद्दों पर 533 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सम्बंधित संभावित कर प्रभाव ₹74,766.39 करोड़ में से, मंत्रालय ने ₹1,061.58 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, मंत्रालय ने ₹799.38 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित 21 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है और ₹24.50 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित दो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, ₹599.04 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित 17 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है और ₹224.84 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित छह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। मंत्रालय ने ₹237.70 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित दो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया।

क्षेत्रीय इकाइयों के स्तर पर, आयकर विभाग (आईटीडी) ने ₹47,557.33 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित 212 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उत्तर प्रस्तुत किए थे। इन 212 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, आयकर विभाग ने ₹28,639.13 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित 88 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया,

₹5,056.59 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित 79 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की और ₹15,324.15 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित 64 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की। आयकर विभाग ने ₹6,900.25 करोड़ के कर प्रभाव से सम्बंधित 41 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया।

लेखापरीक्षा में निरंतर बनी रहने वाली कमियों की पहचान की गई, जिनमें अशोध्य ऋण अनुमतियों, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों और विशेष आरक्षित निधियों के लिए गलत कटौतियाँ, साथ ही अन्य कटौतियाँ और छूटें सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ मुद्दों को पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले ही उठाया जा चुका था, और सीबीडीटी ने सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7, 2008 के उत्तर में 26 नवंबर 2008 को निर्देश जारी किए।

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र आईटीआर-6 का उपयोग करके आयकर रिटर्न और प्रपत्र 3सीडी में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करते हैं। तथापि, इन फॉर्मों में धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए विशिष्ट कॉलम नहीं हैं, जिससे निर्धारण अधिकारियों के लिए अनुमत कटौतियों की सटीक गणना करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में अशोध्य ऋणों, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों और विशेष आरक्षित निधियों के सृजन से संबंधित अत्यधिक कटौतियों का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 33,459.08 करोड़, ₹ 2,971.26 करोड़ और ₹ 531.18 करोड़ के संभावित कर निहितार्थ सामने आए।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर नियम, 1961 के नियम 6ईए के अंतर्गत, किसी ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) तब माना जाता है जब छह महीने से अधिक समय तक बकाया रहती है, जबकि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार यह अवधि केवल तीन महीने है। इस अस्पष्टता के कारण कई कर विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिनमें विभाग तीन से छह महीने की अवधि के लिए बकाया राशि पर अर्जित ब्याज पर कर प्रभारित करने का प्रयास करता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43डी के अनुसार, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक के मामले में, निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय पर उस पूर्व वर्ष में कर प्रभार्य होगा जिसमें इसे उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है या जब इसे वास्तव में उस संस्थान या बैंक द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो। वित्त अधिनियम संख्या 23, 2019 के अंतर्गत, धारा 43डी को दो

श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर 1 अप्रैल 2020, यानी निर्धारण वर्ष 2020-21 से प्रभावी किया गया। परिणामस्वरूप, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज से प्राप्त आय पर निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2019-20 तक की अवधि के लिए कर आरोपित किया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने धारा 43डी का अनुपालन करने के लिए नियम 6ईए के प्रावधानों में संशोधन नहीं किया है। लेखापरीक्षा में एनबीएफसी के 36 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एनपीए पर ब्याज पर संचय के आधार पर कर आरोपित नहीं किया गया है।

- अधिनियम की धारा 139ए के अंतर्गत राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा निर्धारित विशिष्ट संव्यवहारों के लिए व्यक्तियों को अपना पैन विवरण उद्धृत करना अनिवार्य है। आयकर नियमों का नियम 114बी सोलह प्रकार के संव्यवहारों को परिभाषित करता है जिनके लिए पैन विवरण आवश्यक है, जिनमें बैंक खाता खोलना भी सम्मिलित है। आमतौर पर, बैंक ऋण स्वीकृति के लिए पैन विवरण मांगते हैं। लेखापरीक्षा में 127 ऐसे मामले पाए गए जिनमें बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) ने उधारकर्ता के पैन विवरण के बिना ₹ 40,178.47 करोड़ के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया। इसके अतिरिक्त, 58 ऐसे मामले थे जिनमें उधारकर्ता की सूचना के बिना ₹ 1,69,782.47 करोड़ के अशोध्य ऋणों को कटौती के रूप में अनुमत किया गया, तथापि इसे लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया।
- इस समीक्षा में वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक के निर्धारण वर्षों के लिए 17 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण किया गया। इसमें प्रणालीगत कमियों, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अननुपालन के कई उदाहरण सामने आए।
- आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की तुलना कर लेखापरीक्षकों द्वारा प्रपत्र 3सीडी में प्रस्तुत आंकड़ों से करने पर, लेखापरीक्षा में ऐसे 52 मामले सामने आए जिनमें निर्धारितियों ने कर के रूप में केवल ₹ 2,098.35 करोड़ का भुगतान किया था, जबकि आरबीआई को मूल वसूली के रूप में ₹ 14,303.00 करोड़ की राशि की सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त, एनएचबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की तुलना कर लेखापरीक्षकों द्वारा प्रपत्र 3सीडी के खंड 25 के अंतर्गत प्रस्तुत आंकड़ों से करने पर, लेखापरीक्षा में ऐसे 15 मामले सामने आए जहां एनएचबी को वसूली के रूप में रिपोर्ट की गई ₹ 137.89 करोड़ की राशि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं थी।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग के पास आयकर रिटर्न में दर्ज किए गए ग्रामीण अग्रिमों के दावों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र

नहीं था। लेखापरीक्षा में 21 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों के लिए कटौती पात्रता सत्यापन के बिना ही अनुमत कर दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ही निर्धारिती के लिए अलग-अलग निर्धारण वर्षों (नि.व.) में जनगणना आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण अग्रिमों के लिए कटौती की अनुमति देने में विसंगतियां थीं।

- सीबीडीटी को बैंकों के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार करनी होगी, ताकि सभी निर्धारण शुल्कों में बैंकों/एनबीएफसी को दी जाने वाली छूटों और कटौतियों में एकरूपता सुनिश्चित हो सके और निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

लेखापरीक्षा का प्रभाव विभाग द्वारा की गई वसूली कार्रवाइयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो लेखापरीक्षा निष्कर्षों की विभाग की स्वीकृति को दर्शाती है। विशेष रूप से, इन अभ्युक्तियों के परिणामस्वरूप एस8 से ₹ 3,141 करोड़, डी1 से ₹ 248 करोड़, सी3 से ₹ 42.36 करोड़, टी6 से ₹ 36.51 करोड़ और टी3 से ₹ 35.57 करोड़ की वसूली की गई।

कुल 37 ऑडिट अनुशंसाओं में से कुछ प्रमुख अनुशंसा इस प्रकार हैं:-

- सीबीडीटी, नियम 6ईए के प्रावधानों में संशोधन कर एनबीएफसी की दो श्रेणियों: जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को, स्पष्टता हेतु और मुकदमेबाजी की संभावना को समाप्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 43डी के प्रावधानों के अनुसार और आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी के वर्गीकरण के अनुरूप सम्मिलित करने पर विचार कर सकता है।
- राजस्व विभाग (डीओआर) आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है ताकि उधारकर्ता के ऋण के मूलधन के निपटान के कारण दायित्व की समाप्ति से उत्पन्न आय पर आरोपित किया जा सके।
- सीबीडीटी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र हो सकता है कि अशोध्य ऋण के उद्घाटित होने के बाद उसे बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी जाए, ताकि निर्धारितियों को धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों का उपयोग अशोध्य ऋणों की आड़ में कर देयता को कम करने के लिए एक कार्यप्रणाली के रूप में करने से रोका जा सके।
- सीबीडीटी, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज आय के कर प्रशोधन में असंगति तथा संभावित मुकदमेबाजी से बचाव हेतु, एनबीएफसी पर धारा 43डी के प्रावधानों को लागू

होने तक, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज आय की कर योग्यता की जांच करे एवं स्पष्टीकरण जारी करे।

- सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 41(4ए) में उपयुक्त संशोधन लाने पर विचार कर सकता है, क्योंकि दीर्घकालिक वित्त का व्यवसाय बंद करने के बाद इकाई द्वारा विशेष आरक्षित निधि में प्रतिधारित धन पर कर प्रशोधन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
- सीबीडीटी आईटीआर-6 में संशोधन करे ताकि उधारकर्ताओं के अशोध्य ऋणों का विवरण, जिसमें उनके पैन् संख्या भी सम्मिलित हैं, दर्ज किया जा सके, जिनका ऋण सीबीडीटी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है और निर्धारण में अशोध्य ऋणों के लिए दी गई समुचित कटौती की सटीकता को सत्यापित करने के लिए जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है, चाहे अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है अथवा नहीं।
- सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 80जी या किसी अन्य धारा के अंतर्गत सीएसआर व्यय की कटौती की अनुमतता को स्पष्ट करने पर विचार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रावधानों की व्याख्या निर्धारण अधिकारी द्वारा समान रूप से की जाए और कर विवादों और संभावित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए इसके निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।
- सीबीडीटी धारा 115जेबी के अंतर्गत लाभ की गणना करते समय समायोजन के रूप में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति देने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर सकता है, जब बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया जाता है, ऐसा राजस्व की महत्वपूर्ण राशि को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर दीर्घकालिक मुकदमेबाजी से बचने के लिए किया जा सकता है।
- सीबीडीटी, धारा 36(1)(vii) में स्पष्टीकरण 2 को सम्मिलित करने के बाद, अधिनियम के संशोधित प्रावधान के संबंध में निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पीबीडीडी के लिए कटौती की अनुचित अनुमतता को रोकने के लिए सभी प्रकार के अग्रिमों के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत केवल एक ही पीबीडीडी खाता होगा।

- सीबीडीटी, आरबीआई को सूचित की गई वसूली की राशि और प्रपत्र 3सीडी में दर्ज राशि के बीच विसंगतियों की जांच करे ताकि गैर-मिलान के कारणों की पहचान की जा सके और ऐसे मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके जहां आयकर विभाग को कर योग्य राशि की कम रिपोर्टिंग की जाती है।
- सीबीडीटी बैंकों के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है (एसओपी), ताकि सभी निर्धारण शुल्कों में बैंकों के लिए छूट और कटौतियों की अनुमति देने में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके और निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के दौरान आयकर अधिनियम, 2025 संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने आयकर अधिनियम, 1961 की तुलना आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों से करने का प्रयास किया है। आयकर अधिनियम, 2025 के निहितार्थों की जांच आगामी अनुपालन लेखापरीक्षा और इस विषय पर अनुवर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी।

BSC/IK/27-26